उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4

अधिसूचना

संख्या-12/2019/805/तीस-4-2019-17(सा0)/2018
लखनऊः दिनांकः 27 मई, 2019

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 28, 38, 65, 95, 96, 107, 111, 138, 176, 213 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या-49/2018/1952/तीस-4-2018-17(सा0)/2018, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 द्वारा गजट में पूर्ववर्ती प्रकाशन के पश्चात उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश मोटर यान (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटर यान (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 कहा जाएगा।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नए अध्याय का बढ़ाया जाना — उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में अध्याय-नौ के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायेगा।

अध्याय-नौ-क
विद्यालयीय यानों के लिए विशेष उपबन्ध

परमिट की आवश्यकता — 222-क किसी मोटर यान का स्वामी या आपरेटर सार्वजनिक स्थान पर विद्यार्थियों को ले जाने के लिये परिवहन यान के रूप में किसी यान को तब तक प्रयोग नहीं करने देगा जब तक कि अधिनियम की धारा-74 के अधीन किसी शिक्षा संस्था द्वारा बस या ठेका गाड़ी परमिट के लिए उक्त अधिनियम की धारा-76 के अधीन परमिट जारी न कर दिया जाये।

विद्यार्थियों को ले जाने हेतु परमिट की स्वीकृति — 222-ख (1) किसी 'शिक्षा संस्था बस' को अधिनियम की धारा 76 के अधीन निजी सेवा यान का परमिट प्राप्त करना होगा। स्वामी को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रपत्र एस.आर. 23क में आवेदन करना होगा और प्राधिकारी, ऐसे आवेदन पत्र के अनुसार या ऐसे उपान्तरण, जैसा कि वह उचित समझे, के साथ परमिट स्वीकृत कर सकता है अथवा ऐसा परमिट स्वीकृत करने से अस्वीकार कर सकता है। परमिट प्रपत्र, एस0आर0-29क में जारी किया जायेगा।

(2) किसी निजी बस के स्वामी, जिसके पास विद्यालय के प्राधिकारी के साथ लिखित करार हो, को अधिनियम की धारा-73 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रपत्र एस०आर०-21क में आवेदन करना होगा और प्राधिकारी आवेदन पत्र के अनुसार या ऐसे उपान्तरणों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, परमिट स्वीकृत कर सकता है अथवा ऐसे परमिट को स्वीकृत करने से अस्वीकार कर सकता है। परमिट प्रपत्र एस०आर०-27क में जारी किया

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगा।

(3) विद्यालय वैन के स्वामी को, जिनके पास विद्यार्थियों के परिवहन हेतु संरक्षकों या संरक्षक समूह के साथ करार हो, धारा-73 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अग्रसारित करार की प्रति सहित प्रपत्र एस०आर०-21बी में आवेदन करना होगा। प्राधिकारी आवेदन के अनुसार अथवा कतिपय ऐसे उपान्तरणों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, परमिट स्वीकृत कर सकता है अथवा ऐसा परमिट स्वीकृत करने से अस्वीकार कर सकता है। परमिट प्रपत्र एस0आर0-27ख में जारी किया जायेगा।

(4) किसी निजी ऑपरेटर के साथ करार करने के पूर्व प्रत्येक विद्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

(क) यान इस नियमावली में विहित समस्त सन्नियमों और समय-समय पर राज्य सरकार के निदेशों का अनुपालन करता है।

(ख) यान स्वामी और ड्राइवर का चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) करार अपरिहार्य परिस्थितियों के सिवाय एक वर्ष से पूर्व समाप्त नहीं किया जा सकता है।

फीस 222-ग परमिट के लिए फीस नियम 125 के उपबन्धों के अधीन प्रभारित किया जायेगा।

विद्यालय यान की आयु सीमा 222-घ (1) शिक्षा संस्था बस (डीजल एवं स्वच्छ ईधन चालित) प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 15 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।

(2) डीजल/सी.एन.जी. चालित निजी बस (ठेका गाड़ी) प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।

(3) डीजल/पेट्रोल/सी0एन0जी0 अथवा किसी अन्य स्वच्छ इंर्धन चालित विद्यालय वैन, प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।

जिला स्कूल वाहन परिवहन सुरक्षा समिति का गठन 222-ड. (1) प्रत्येक/जिला के लिए विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा उनके परिवहन से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने, विनिश्चय करने तथा संस्तुति करने हेतु एक जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समित होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(एक)	जिलामजिस्ट्रेट।	अध्यक्ष
(दो)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।	उपाध्यक्ष
(तीन)	सम्बन्धित सम्भाग का संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)।	सदस्य
(चार)	सम्बन्धित जिला का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)।	सदस्य सचिव
(पांच)	यथा स्थिति जिलामजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी या नगर आयुक्त।	सदस्य
(छः)	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(सात)	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(आठ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले विद्यालय सदस्य परिवहन व्यवसाय के दो प्रतिनिधि

स्पष्टीकरण - इस खण्ड में "विद्यालय परिवहन व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे यान स्वामियों से है जो विद्यालयों के लिए यानों का संचालन करते हैं।

(2) समिति की बैठक की गणपूर्ति 5 सदस्यों से होगी।

(3) समिति की बैठक वर्ष में दो बार माह जनवरी और जुलाई में होगी।

समिति के कृत्य	222-च	(1) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि यान का प्राविधिक निरीक्षण, विद्यालय परिसर में अथवा नियत स्थान पर किया जाय। यह निरीक्षण संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) या उससे उच्चतर अधिकारी द्वारा किया जायेगा। (2) समिति विद्यालय यानों की निरीक्षण अनुसूची इस प्रकार नियत करेगी कि समस्त यानों की जांच वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य की जाये। (3) समिति विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति के कार्य सम्पादन का अनुश्रवण करेगी और समय-समय पर मा० उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति	222-छ	(1) विद्यार्थियों की सुरक्षा सम्बन्धी मामलों की देखभाल के लिए एक "विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति" होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-
	(क)	सम्बन्धित विद्यालय का विद्यालय प्राधिकारी। — अध्यक्ष।
	(ख)	सम्बन्धित जिलामजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जो नायब तहसीलदार की श्रेणी से नीचे का न हो। — सदस्य।
	(ग)	विद्यालय प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट संरक्षकों के दो प्रतिनिधि। — सदस्य।
	(घ)	सम्बन्धित पुलिस थाने का थाना अधिकारी/चौकी प्रभारी। — सदस्य।
	(ङ)	बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की श्रेणी से नीचे का न हो। — सदस्य।
	(च)	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट, एक अधिकारी जो उपखण्ड निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो। — सदस्य।
	(छ)	विद्यालय यान आपरेटरों के दो प्रतिनिधि। — सदस्य।
	(ज)	यथा स्थिति अध्यक्ष या महापौर द्वारा नामनिर्दिष्ट स्थानीय निकाय का एक प्रतिनिधि । — सदस्य।
		(2) विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी। (3) विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष द्वारा यथा विनिश्चित समय पर जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एवं अप्रैल में होगी।
विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति के कृत्य	222-ज (क)	विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति - विद्यालयों में सम्बद्ध यानो के दस्तावेजों यथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, ठीक होने का प्रमाण-पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, परमिट, प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र एवं चालन अनुज्ञप्ति का परीक्षण करेगी और विहित सन्नियमों का अनुपालन करेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(ख)	फीस अवधारण करेगी और बस स्टॉपों को चिन्हित करेगी।
	(ग)	अपनी संस्तुतियां, यदि कोई हों, जिला स्तरीय समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित करेगी।
	(घ)	वर्ष में एक बार विद्यालय यान ड्राइवरों का स्वास्थ्य-नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन जिला स्तरीय समिति की सहायता से करेगी।
	(ड.)	प्रत्येक ड्राइवर का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करेगी ।
	(च)	जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों का अनुपालन करेगी।
यानों की पार्किंग एवं उनका विराम स्थल	222-झ	(1) विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति, सम्बन्धित पुलिस एवं नगरपालिका प्राधिकारियों से विचार-विमर्श करके विद्यालय यानों हेतु पार्किंग तथा विश्राम स्थलों को चिन्हित करेगी।
विद्यालय यानों के ड्राइवरों की पात्रताएं एवं उनके कर्तव्य	222-ञ	(1) कोई यान स्वामी या विद्यालय प्राधिकारी विद्यालय यान के किसी ड्राइवर को तब तक चलाने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि :- (क) उसके पास विधिमान्य चालन अनज्ञप्ति न हो। (ख) उसके पास कम से कम पांच वर्ष का चालन अनुभव न हो। (ग) वह एक वर्ष में दो बार रेड लाइट पार करने, लेन-अनुशासन का उल्लंघन करने अथवा अप्राधिकृत व्यक्ति को चलाने देने के लिए दण्डित न किया गया हो। (2) प्रत्येक ड्राइवर को- (क) "विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति" द्वारा आयोजित स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण में सम्मिलित होना होगा; (ख) यान की लॉग बुक तैयार करनी होगी और इसमें यान की समस्त त्रुटियों की दैनिक आधार पर प्रविष्टि करनी होगी; (ग) वह विद्यालय यानों हेतु नियत गति सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा (घ) यह सुनिश्चित करना होगा कि समस्त विद्यार्थी सीट बैल्ट बांधेंगे।
ड्राइवर एवं परिचर की वर्दी	222-ट	(1) विद्यालय बस के ड्राइवर को निम्नलिखित वर्दी धारण करनी होगी :- (क) खाकी बुश शर्ट, (ख) खाकी फुल पैन्ट (ग) विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र और मोबाइल नम्बर सहित नेम प्लेट। (2) विद्यालय बस के परिचर को निम्नलिखित वर्दी धारण करनी होगी :- (क) नेवी ब्लू बुश शर्ट, (ख) नेवी ब्लू फुल पैन्ट, (ग) विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र तथा मोबाइल नम्बर सहित नेम प्लेट। (3) महिला परिचर की स्थिति में उसे नेवी ब्लू साड़ी पहननी होगी। (4) विद्यालय वैन के ड्राइवर को निम्नलिखित वर्दी धारण करनी होगी :- (क) स्लेटी शर्ट, (ख) स्लेटी फुल पैन्ट,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(ग) विद्यालय के स्वामित्वाधीन यान के मामले में विद्यालय द्वारा अथवा निजी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन यान के मामले में रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा जारी मोबाइल नम्बर सहित नेम प्लेट। (5) विद्यालय वैन के परिचर को निम्नलिखित वर्दी धारण करनी होगी :- (क) नेवी ब्लू बुश शर्ट, (ख) नेवी ब्लू फुल पैन्ट, (ग) विद्यालय के स्वामित्वाधीन यान के मामले में विद्यालय द्वारा अथवा निजी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन यान के मामले में रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा जारी मोबाइल नम्बर सहित नेम प्लेट। (6) महिला परिचर के मामले में उसे नेवी ब्लू साड़ी पहननी होगी।
विद्यालय यान परमिट के लिए सामान्य शर्तें	222-ठ शिक्षा संस्था बसः-	(1) शिक्षा संस्था बस- (क) पीले रंग में रंगी जायेगी और अग्र तथा पश्च भाग में शब्द "विद्यालय बस" लिखा जायेगा और विद्यालय की पहचान हेतु बस के दोनों पार्श्व भागों में विद्यालय का नाम लिखा जायेगा। (ख) में आवश्यक रूप से एक आपातकालीन द्वार और एक आपातकालीन खिड़की अवश्य होगी। आपातकालीन द्वार का आकार 150 से.मी.X120 से.मी. होगा, जिसे अन्दर की ओर से और बाहर की ओर से भी खोला जा सकता है। आपातकालीन निकास खिड़की यान के पश्च भाग की ओर होगी, जो 150 से.मी.X120 से.मी. के आकार के टफन ग्लास की बनी होगी जिसे एक स्थायी फ्रेम में फिक्स किया गया होगा। आपातकालीन निकास खिड़की के शीशे को तोड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी आवश्यक होगी। (ग) में उत्तल क्रास शीशे लगाये जायेंगे ताकि ड्राइवर प्रवेश एवं निकास द्वार तथा पिछले पहियां के अग्रभाग को देख सके और बस परवलयिक पश्च दृश्य शीशा से भी सुसज्जित होगी, ताकि ड्राइवर बस के अन्दर का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सके। (घ) के दरवाजां में भरोसेमन्द ताले लगे होंगे और आगे के द्वार के निम्नतम् पायदान पर हैण्डरेल भी लगा होगा ताकि उसे पकड़कर विद्यार्थी प्रवेश कर सकें तथा निकल सकें। (ड.) में छत पर मजबूती से जुड़ी हुई होल्डिंग रॉड लगी होगी। यह फिसलनयुक्त नही होनी चाहिए। (च) में किसी भी दशा में प्रेशर हॉर्न अथवा मल्टीटोन हॉर्न नहीं लगाया जाएग, किन्तु अलार्म घंटी/साइरन लगे होने चाहिए जो आपात स्थिति में प्रयोग किए जायेंगे। (छ) में पारदर्शी फर्स्ट-एड बाक्स तथा 02 बी0आई0एस0 मार्क 02 कि.ग्रा. की क्षमता वाले अग्नि शामक यन्त्र एक केबिन में तथा दूसरा पश्च आपात द्वार के निकट अवश्य लगे होने चाहिए।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(ज) के सी.एन.जी. चालित यानों में सिलिन्डर के ऊपर सीट का कोई उपबन्ध नहीं होना चाहिए। (झ) में सीट के नीचे रैक लगी हो ताकि विद्यार्थियों के बैग ठीक से रखे जा सकें। (ञ) की समस्त सीटों में सीट बैल्ट लगाई जायेंगी। (ट) में खतरे की चेतावनी देने वाला प्रकाश, जिसे विद्यार्थियों को चढ़ाने अथवा उतारने के समय क्रियाशील किया जायेगा, आवश्यक रूप से लगा हो। (ठ) की खिड़की में क्षैतिज स्टील की छड़ों को आवश्यक रूप में इस प्रकार फिट किया जायेगा कि दो छड़ों के मध्य 05 से0मी0 से अधिक का अन्तर न हो। (ड) गति सीमा यन्त्र से युक्त होगी, ताकि उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घण्टा से अधिक न होने पाये। (ढ) यान लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त होगी। यह उपबन्ध इस नियमावली के लागू होने के 03 माह के पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा। (ण) में सी०सी० टीवी कैमरे का उपबन्ध अनिवार्य होगा। यह इस नियमावली के लागू होने के 03 माह पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा। विद्यालय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि- (त) ड्राइवर के अतिरिक्त एक परिचर होगा और बालिका विद्यार्थी होने की दशा में परिचर अनन्य रूप से महिला होनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी बस में एक अध्यापक अवश्य यात्रा करे। (थ) ले जाये जा रहे विद्यार्थियों के विवरण यथा विद्यार्थियों के नाम (जैसा की विद्यालय में हो) कक्षा, आवासीय पता, दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या, रक्त समूह तथा उनके आवास के निकटवर्ती स्थान सहित सूची अवश्य रखी जानी चाहिए। यह सूची सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित की जायेगी तथा तत्सम्बन्धी मार्गों का विवरण भी उल्लिखित किया जायेगा। (द) ड्राइवर या परिचर को एक मोबाइल फोन अवश्य लेकर चलना चाहिए ताकि आपात स्थिति में वैन ड्राइवर या परिचर घटना के सम्बन्ध में विद्यालय प्राधिकारी को सूचित कर सके तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सके। (ध) यदि नर्सरी अथवा किन्डर गार्टन के विद्यार्थी को लेने के लिए प्राधिकृत (विद्यालय एवं माता-पिता द्वारा पारस्परिक रूप में मान्यता प्राप्त) नहीं आता है तो ऐसे विद्यार्थी विद्यालय वापस लाये जायेंगे तथा संरक्षकों को बुलाकर विद्यालय में सौंप दिये जायेंगे। (न) विद्यालय परिसर के भीतर सुरक्षित चढ़ाने एवं उतारने के लिए स्थान का अपेक्षानुसार अवश्य उपबन्ध किया जाना चाहिए। (प) शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों की स्थिति में परिचर अथवा ड्राइवर को स्वयं बस में सुरक्षित रूप में चढ़ाने तथा उतारने को सुनिश्चित करना होगा। **(2) ठेका गाड़ी बस:-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ठेका गाड़ी बस:-

(क) जो किसी विद्यालय में अनन्य रूप से संचालित हों, पीले रंग से रंगी जाएगी तथा उसके अग्र एवं पश्च भाग पर शब्द "विद्यालय बस" लिखा जाएगा। विद्यालय की पहचान के लिए स्कूल का नाम बस के दोनों ओर प्रदर्शित किया जाएगा।

(ख) जो इस ठेके के अतिरिक्त ठेके में संलग्न हो पीले रंग से रंगी जानी अपेक्षित नहीं होगी। परन्तु यह कि 400 मि.मी. की पीले रंग की पट्टी, बस के चारों ओर खिड़की से 300 मि.मी. नीचे रंगी जायेगी।

(ग) में एक आपातकालीन द्वार एवं एक आपातकालीन खिड़की अवश्य होगी। आपातकालीन द्वार का आकार 150 से.मी.X120 से.मी. होगा, जिसे भीतर एवं बाहर दोनों ओर से खोला जा सके। आपातकालीन निकास खिड़की यान के पीछे की ओर होगी, जो 150 से.मी.X120 से.मी. में आकार के टफन ग्लास की बनी होगी जो एक स्थायी फ्रेम में फिक्स होगी। आपातकालीन निकास खिड़की के शीशे को तोड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्था अवश्य की जाएगी।

(घ) में उत्तल क्रास शीशे लगाये जाऐंगे ताकि ड्राइवर प्रवेश एवं निकास द्वार तथा पिछले पहियों के अग्रभाग को स्पष्ट रूप से देख सके और बस परवलयिक पश्च दृश्य शीशा से भी सुसज्जित होगी, ताकि ड्राइवर बस के अन्दर का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सके।

(ङ) के दरवाजों में भरोसेमन्द ताले लगे होंगे और आगे के द्वार के निम्नतम् पायदान पर हैण्डरेल भी लगा होगा जिसे पकड़कर विद्यार्थी प्रवेश कर सकें अथवा निकल सकें।

(च) में छत पर मजबूती से जुड़ी हुई रॉड लगी होगी। ये फिसलनयुक्त नहीं होनी चाहिये।

(छ) की समस्त सीटों में सीट बैल्ट सुसज्जित होंगी।

(ज) में किसी भी दशा में प्रेशर हॉर्न अथवा अन्य मल्टीटोन हार्न नहीं लगाया जायेगा, किन्तु अलार्म घंटी/साइरन लगे होने चाहिए जो आपात स्थिति में प्रयोग किये जायेंगे।

(झ) में पारदर्शी फर्स्ट-एड बाक्स तथा 02 बी0आई0एस0 मार्क 02 कि.ग्रा. की क्षमता वाले अग्नि शामक यन्त्र एक केबिन में तथा दूसरा पश्च आपात द्वार के निकट अवश्य लगे होने चाहिए।

(ञ) के सी.एन.जी. चालित यानों में सिलिन्डर के ऊपर सीट का कोई उपबन्ध नहीं होना चाहिए।

(ट) में सीट के नीचे रैक लगी हो ताकि विद्यार्थियों के बैग ठीक से रखे जा सकें।

(ठ) खतरे की चेतावनी देने वाला प्रकाश, जिसे विद्यार्थियों को चढ़ाने-उतारने के समय क्रियाशील किया जायेगा, अवश्य लगा हो।

(ड) की खिड़की में क्षैतिज स्टील की छड़ों को आवश्यक रूप में इस प्रकार

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फिट किया जायेगा कि दो छड़ों के मध्य 05 से0मी0 से अधिक का अन्तर न हो।

(ढ) गति सीमा यन्त्र से युक्त होगी, ताकि उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घण्टा से अधिक न होने पाये।

(ण) यान लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त होगी। यह उपबन्ध इस नियमावली के लागू होने के 03 माह पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा।

(त) में सी°सी° टीवी कैमरे का उपबन्ध अनिवार्य होगा। यह इस नियमावली के लागू होने के 03 माह के पश्चात प्रवृत्त हो जायेगा।

यथास्थिति ठेका गाड़ी के प्रत्येक स्वामी या विद्यालय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

(थ) ड्राइवर के अतिरिक्त एक परिचर होगा और बालिका विद्यार्थी होने की दशा में परिचर अनन्य रूप से महिला होनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी बस में एक अध्यापक अवश्य यात्रा करे।

(द) विद्यार्थियों के विवरण यथा विद्यार्थियों के नाम (जैसा की विद्यालय में हो) कक्षा, आवासीय पता, दूरभाष संख्या तथा संरक्षक का मोबाइल नम्बर, रक्त समूह तथा उनके आवास के निकटवर्ती स्थान सहित सूची उसमें ले जायी जायेगी। यह सूची सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित की जायेगी तथा बस के संचालन मार्ग का विवरण भी उल्लिखित किया जाएगा।

(ध) ड्राइवर या परिचर को एक मोबाइल फोन अवश्य ले जाना चाहिए ताकि आपात स्थिति में बस ड्राइवर या परिचर घटना के सम्बन्ध में विद्यालय प्राधिकारी को सूचित कर सकें तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सके।

(न) यदि प्राधिकृत व्यक्ति (विद्यालय तथा माता-पिता द्वारा पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त) नर्सरी या किन्डर गार्टेन के विद्यार्थियों को लेने के लिए नहीं आता है तो ऐसे विद्यार्थी विद्यालय वापस लाये जायेंगे। विद्यालय में संरक्षक को बुलाकर उन्हें वापस कर दिये जायेंगे।

(प) विद्यालय परिसर के भीतर सुरक्षित उतारने तथा चढ़ाने के लिए अपेक्षानुसार स्थान का उपबन्ध अवश्य किया जाना चाहिए।

(फ) शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के मामले में परिचर अथवा ड्राइवर को स्वयं बस में सुरक्षित रूप में चढ़ाने तथा उतारने को सुनिश्चित करना होगा।

(3) विद्यालय वैनः-

विद्यालय वैनः-

(क) पीले रंग में रंगी जायेगी। यान के अग्र भाग और पश्च भाग पर 18 इन्च लम्बाई तथा 08 इन्च ऊँचाई के आकार का एक बोर्ड प्रदर्शित किया जायेगा। विद्यालय का नाम बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा। अनन्य रूप से विद्यालय ड्यूटी के लिए अप्रयुक्त वैन पर 250 मि0मी0 की एक पीली पट्टी, वैन के चारों ओर खिड़की के स्तर से 200 मि0मी0 नीचे होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) बन्द बॉडी टाइप का होगा। कैनवॉस हुड वाला कोई भी यान विद्यालय वैन के रूप में अनुज्ञात नहीं होगा।

(ग) में विद्यार्थियों के टिफिन एवं बैग ले जाने के लिए एक वाहक अवश्य लगा होना चाहिए।

(घ) एक फर्स्ट-एड बाक्स तथा एक 5 किग्रा0 के बी0आई0एस0 मार्क के एक अग्नि शामक यन्त्र से सुसज्जित होगी।

(ङ) यदि सीएनजी चालित यान है, में सिलेन्डर के ऊपर सीट का कोई उपबन्ध नहीं होगा।

(च) की समस्त सीटें सीट बैल्ट से सुसज्जित होगी।

(छ) में किसी भी दशा में प्रेशर हॉर्न अथवा मल्टीटोन हार्न नहीं लगाया जाएग, किन्तु अलार्म घंटी/साइरन लगा होगा, जिसे आपात स्थिति में प्रयोग किया जायेगा।

(ज) में गति सीमा यन्त्र लगाया जाएगा, ताकि उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घण्टा से अधिक न हो।

(झ) में यान लोकेशन ट्रैकिंग यन्त्र अवश्य लगा होना चाहिए। यह उपबन्ध इस नियमावली के लागू होने के 03 माह पश्चात् प्रवृत्त होगा।

(ञ) ऐसे विद्यालय वैनो में सी°सी° टीवी कैमरे का उपबन्ध किया जाना अनिवार्य होगा। यह इस नियमावली के लागू होने के 03 माह पश्चात् प्रवृत्त हो जायेगा। यथा स्थिति वैन स्वामी या विद्यालय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

(ट) ड्राइवर के अतिरिक्त एक परिचर होगा और यदि बालिका विद्यार्थी हो तो परिचर महिला होनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे वैन में एक अध्यापक अवश्य यात्रा करे।

(ठ) ले जाये जा रहे विद्यार्थियों के विवरण यथा विद्यार्थियों के नाम (जैसा की विद्यालय में हो) कक्षा, आवासीय पता, दूरभाष अथवा मोबाइल नम्बर, रक्त समूह तथा उनके आवास के निकटवर्ती स्थान सहित सूची अवश्य रखी जायेगी। यह सूची सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित की जायेगी तथा तत्सम्बन्धी मार्गों का विवरण भी उल्लिखित किया जाएगा।

(ड) ड्राइवर या परिचर को एक मोबाइल फोन अवश्य लेकर चलना चाहिए ताकि आपात स्थिति में वैन ड्राइवर या परिचर घटना के सम्बन्ध में विद्यालय प्राधिकारी को सूचित कर सके तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सके।

(ढ) यदि नर्सरी अथवा किन्डर गार्टेन कक्षा के विद्यार्थी को लेने के लिए प्राधिकृत (विद्यालय एवं माता-पिता द्वारा पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त) नहीं आता है तो ऐसे विद्यार्थी विद्यालय वापस लाये जायेंगे और संरक्षकों को बुलाकर विद्यालय में सौंप दिये जायेंगे।

(ण) विद्यालय परिसर के भीतर सुरक्षित चढ़ाने एवं उतारने के लिए स्थान का अपेक्षानुसार अवश्य उपबन्ध किया जाना चाहिए।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(त) शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों की स्थिति में परिचर या ड्राइवर को स्वयं बस में सुरक्षित रूप में चढ़ाने तथा उतारने को सुनिश्चित करना होगा।
	222-ड	निर्वचन:-इस अध्याय के प्रयोजनार्थ:-
	(क)	"परिचर" का तात्पर्य परिचर का कार्य करने के लिए किसी विद्यालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है।
	(ख)	"समिति" का तात्पर्य नियम-222 ड के अधीन गठित जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति से है।
	(ग)	'विद्यालय' का तात्पर्य ऐसे किसी सरकारी अथवा निजी संस्था से है, जो नर्सरी से कक्षा-12 तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान करती है।
	(घ)	"विद्यालय प्राधिकारी" का तात्पर्य प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक अथवा विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्राधिकृत किसी ज्येष्ठ अध्यापक से है।
	(ङ)	"विद्यालय वैन" का तात्पर्य ऐसे किसी ठेका गाड़ी यान से है, जो अनन्य रूप से विद्यालय अथवा किसी कालेज में विद्यार्थियों के परिवहन हेतु प्रयोग किया जाता हो तथा चालक सहित 13 सीट तक की बैठने की क्षमता हो।
	(च)	'विद्यालय यान' का तात्पर्य ऐसे किसी यान से है जो अनन्य रूप से विद्यालय के स्वामित्वाधीन अथवा ठेके पर विद्यार्थियों के परिवहन हेतु प्रयोग किया जाता हो।
	(छ)	'विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति' का तात्पर्य नियम 222-छः के अधीन गठित समिति से है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वितीय अनुसूची में संशोधन — द्वितीय अनुसूची में,

(क) प्रपत्र एस°आर°-21 के पश्चात निम्नलिखित नए प्रपत्र बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात:-

प्रपत्र एस°आर°-21क
[नियम-222 घ(2) देखिये]

किसी ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिए आवेदन-पत्र
(यदि यान स्वामी और विद्यालय के मध्य करार हस्ताक्षरित हो।)

सेवा में,
राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,
....

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 73, और 80 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिये निम्नानुसार, आवेदन करता हूँ/करते हैं-

1. पूरा नाम...
2. किसी व्यक्ति की दशा में पिता/पति का नाम और किसी फर्म या कम्पनी की दशा में यथा स्थिति, प्रबन्ध भागीदार या प्रबन्ध निदेशक का नाम...
3. आवेदक की प्रास्थिति चाहे वह व्यक्ति, कम्पनी या भागीदार फर्म सहकारी समिति आदि हो..
....
4. पूरा पता-
(क) स्थायी...
(ख) वर्तमान...
(जो किसी व्यक्ति की दशा में राशनकार्ड, विद्युत बिल अथवा ऐसे किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी साक्ष्य की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि सहायक होगी, जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हों और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि या भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि से सहायक होगी)
5. क्षेत्र या मार्ग, जिसके लिए परमिट वांछित है..
6. यान का प्रकार, इसका मॉडल और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह...
7. रजिस्ट्रीकृत सीटों की क्षमता...
8. ठेका गाड़ी द्वारा की जाने वाली सेवा का विवरण एवं रीति, जिसमें यह दावा किया गया हो कि जन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी...
9. क्या विद्यालय के साथ ठेका हुआ है- हॉ/नहीं
10. आवेदक द्वारा धारित किसी विधिमान्य मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी परमिट (या समरूप प्राधिकार) का विवरण............
(क) इस यान के सम्बन्ध में-

परमिट संख्या	द्वारा जारी किया गया	क्षेत्र	विधिमान्यता की अवधि

(ख) किसी अन्य यान के सम्बन्ध में-
11. आवेदक द्वारा धारित किसी परिवहन यान के उपयोग के सम्बन्ध में किसी राज्य में पिछले चार वर्षों के दौरान किसी परमिट का विवरण, जो किसी आदेश के अधीन निलम्बित या रद्द किये गये हों, यदि ऐसा हों, ब्यौरा दें..............................
....
12. क्या उपरोक्त कथित परमिटों से आच्छादित यानों के सम्बन्ध में समस्त कर को अद्यतन रूप में संदत्त कर दिया गया है? यदि ऐसा कर दिया गया है, तो सम्बन्धित कराधान अधिकारी का अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न करें, यदि नहीं किया गया हैं तो बकाया का ब्यौरा दें (सम्बन्धित कराधान अधिकारी का प्रमाण-पत्र सहायक होगा।).......................................
13. भाड़ेदारों के आराम और सुविधा के लिये और सामान रखने और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये किये गये इन्तजामों का ब्यौरा...
14. यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है..................
....
15. मैंने/हमने ....रूपये की विहित आवेदन-पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में संदत्त कर दिया है...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16. मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि परमिट तब तक जारी नही किया जायेगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हूँ/कर देते हैं।

17. मैं/हम एतद्द्वारा, घोषित करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य हैं और सहमत हूँ/हैं कि वे अन्य बातों के साथ-साथ मुझे/हमें जारी की गयी परमिट की शर्तें होंगी।

दिनांक ....

आवेदक/आवेदकों के
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

* जो भी लागू न हो उसे काट दें।

कार्यालय परिवहन प्राधिरण द्वारा भरा जायेगा।

1. प्राप्ति का दिनांक...
2. आवेदन का दिनांक..
3. दिनांक..
   सदस्यों को परिचालन...
   बैठक में विचार का दिनांक...
   अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय..
4. स्वीकृत..
   उपान्तरिक रूप में स्वीकृति...
   अस्वीकृत..
5. परमिट की संख्या...

सचिव
संभागीय परिवहन प्राधिकरण.........

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र एस°आर°-21ख
[नियम-222 घ(3)देखिये]

किसी ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिए आवेदन-पत्र
(यदि यान स्वामी एवं विद्यालय अथवा संरक्षक के मध्य करार हस्ताक्षरित हो।)

सेवा में,
राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,
....

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 73, और 80 के उपबन्धों के अनुसार मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 66 के अधीन ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट के लिये निम्नानुसार, आवेदन करता हूँ/करते हैं-

1. पूरा नाम...
2. किसी व्यक्ति की दशा में पिता/पति का नाम और किसी फर्म या कम्पनी की दशा में यथा स्थिति, प्रबन्ध भागीदार या प्रबन्ध निदेशक का नाम...
3. आवेदक की प्रास्थिति चाहे वह व्यक्ति, कम्पनी या भागीदार फर्म सहकारी समिति आदि हो...
....
4. पूरा पता-
(क) स्थायी...
(ख) वर्तमान..
(जो किसी व्यक्ति की दशा में राशनकार्ड, बिजली बिल आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि से या किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि पत्र जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हों और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि से या भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि से समर्थित होगा)
5. क्षेत्र या मार्ग, जिसके लिए परमिट वांछित है...
6. यान का प्रकार, इसका मॉडल और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह...
7. रजिस्ट्रीकृत सीटों की क्षमता...
8. ठेका गाड़ी द्वारा की जाने वाली सेवा का विवरण एवं रीति, जिसमें यह दावा किया गया हो कि जन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी...
9. क्या विद्यालय अथवा संरक्षक के साथ करार हस्ताक्षरित हुआ है..
10. आवेदक द्वारा धारित किसी विधिमान्य मंजिली यान या ठेका यान परमिट (या समरूप प्राधिकार) का विवरण............
(क) इस यान के सम्बन्ध में-

परमिट संख्या	द्वारा जारी किया गया	क्षेत्र	विधिमान्यता की अवधि

(ख) किसी अन्य यान के सम्बन्ध में-
11. आवेदक द्वारा धारित किसी परिवहन यान के उपयोग के सम्बन्ध में किसी राज्य में पिछले चार वर्षों के दौरान किसी परमिट का विवरण, जो किसी आदेश के अधीन निलम्बित या रद्द किये गये हों, यदि ऐसा हों, ब्यौरा दें.............................
....
12. क्या उपरोक्त कथित परमिटों से आच्छादित यानों के सम्बन्ध में समस्त कर को अद्यतन रूप में संदत्त कर दिया गया है? यदि कर दिया गया है, तो सम्बन्धित कराधान अधिकारी का अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न करें, यदि नहीं किया गया हैं तो बकाया का ब्यौरा दें (सम्बन्धित कराधान अधिकारी का प्रमाण-पत्र समर्थित होगा।)..
13. भाड़ेदारों के आराम और सुविधा के लिये और सामान रखने और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये किये गये इन्तजामों का विवरण..
14. यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण-पत्र इसके साथ संलग्न है..................
15. मैंने/हमने ....रूपये की विहित आवेदन-पत्र फीस न्यायिकेतर स्टाम्प के रूप में संदत्त कर दिया है.................................
16. मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि परमिट तब तक जारी नही किया जायेगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता हूँ/कर देते हैं।
17. मैं/हम एतद्द्वारा, घोषित करता हूँ/करते हैं कि उक्त कथन सत्य हैं और सहमत हूँ/हैं कि वे अन्य बातों के साथ-साथ मुझे/हमें जारी की गयी परमिट की शर्तें होंगी।

दिनांक ....

आवेदक/आवेदकों के
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

* जो भी लागू न हो उसे काट दें।

कार्यालय परिवहन प्राधिरण द्वारा भरा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. प्राप्ति का दिनांक..
2. आवेदन का दिनांक..
3. दिनांक..
सदस्यों को परिचालन..
बैठक में विचार का दिनांक..
अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय..
4. स्वीकृत..
उपान्तरिक रूप में स्वीकृति..
अस्वीकृत..
5. परमिट की संख्या..

सचिव
संभागीय परिवहन प्राधिकरण.........

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) प्रपत्र एस°आर°-23 के पश्चात निम्नलिखित नए प्रपत्र बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात:-

प्रपत्र एस°आर°-23क
[नियम-222 घ(1)देखिये]
शिक्षा संस्था बस परमिट स्वीकृति हेतु आवेदन

सेवा में,
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,
....

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 69, 70 और 71 के उपबंधों के अनुसार, मैं/हम अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा अधिनियम की धारा-66 के अधीन विद्यालय बस/विद्यालय यान परमिट के लिए आवेदन करता हूं।

1. पूरा नाम..
2. पिता/पति का नाम...
3 आयु...
4. पूरा पता...
(क) स्थायी-
(ख) वर्तमान-(किसी व्यक्ति की दशा में राशन कार्ड, विद्युत बिल अथवा किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजी प्रमाण की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि, जो परिवहन प्राधिकरण का समाधान करते हो और कम्पनी या फर्म की दशा में संगम ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि या भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि सं समर्थित हो)..
5. दूरभाष संख्या...
6. क्षेत्र या मार्ग जिसके लिए परमिट वांछित है...
7. विद्यालय का नाम और समय 1..
2..
3..
4..
8. बैठने की क्षमता...
9. यान का प्रकार, इसका मॉडल और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह.......................
10. यान मेरे/हमारे कब्जे में है और यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण और बीमा प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न करता हूँ/करते हैं...
11. मैंने/हमने अभी तक यान का कब्जा प्राप्त नहीं किया है और मैं/हम यान क्रय कर प्रस्तुत करूंगा।
12. मैं/हम एतद्द्वारा, घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कथन सत्य हैं।

दिनांक............................
स्थान............................

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान।

(संभागीय परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1. रसीद का दिनांक
2. बैठक में विचार का दिनांक
3. दिनांक.......................स्वीकृत/अस्वीकृत
4. परमिट की संख्या..............

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण...........

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

(ग) प्रपत्र एस°आर°-27 के पश्चात निम्नलिखित नए प्रपत्र बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात:-

प्रपत्र एस°आर°-27क
[नियम-222 घ(2)देखिये]
ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट
(यदि यान स्वामी और विद्यालय के मध्य करार हस्ताक्षरित हुआ हो।)

..................................परिवहन प्राधिकरण

परमिट संख्या ....

1. धारक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम (व्यक्ति के मामले में) ....
3. पता-
   (एक) स्थायी..
   (दो) वर्तमान..
4. (एक) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ....
   (दो) माडल..
   (तीन) चेसिस संख्या..
   (चार) इंजन संख्या..
   (पाँच) यान का वर्ग...
   (छः) वाहन ....के साथ अवक्रय करार के अधीन है।
5. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है...
6. परमिट के अवसान का दिनांक..
7. किराया की प्रति किलोमीटर की दर...
8. यह परमिट मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84 में अधिकथित शर्तो के अध्यधीन होगी।
9. रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी...
   ....
10. अन्य शर्तें-
   (1) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।
   (2) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है।
   (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया जायेगा।
   (4) यह कि यान का उपयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा।
   (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जाया जा सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।
   (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता, यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है।
   परन्तु विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुडे़ हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।
   (7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।
11. कोई अन्य शर्त..

दिनांक..................................

सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

................परिवहन प्राधिकरण

12. परमिट, नीचे दिये गये सम्भागों में और शर्त के अध्यधीन विधिमान्य होगी-

सम्भाग	मार्ग/क्षेत्र	शर्तें
1	2	3

दिनांक..............................

सचिव
........संभागीय परिवहन प्राधिकरण

नवीकरण

यह परमिट एतद्द्वारा दिनांक ....से ....तक निम्नलिखित अग्रेतर शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नवीकृत की जाती है।

(1)
(2)
(3)

किसी पूर्ववर्ती प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न किन्हीं शर्तों के अध्यधीन यह निम्नलिखित राज्य/सम्भागों में प्रभावी होगा।
दिनांक ....

सचिव,
..........संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर

...........................परिवहन प्राधिकरण,

संख्या..............................

निम्नलिखित परिवर्तन (variation)के अध्यधीन मार्ग/क्षेत्र.....................................के लिए प्रतिहस्ताक्षरित-

(1)
(2)
(3)

दिनांक ....

सचिव,
..........संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

उपरोक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्द्वारा, ...तक नवीकृत किया जाता है।
दिनांक ....

सचिव,
.........संभागीय परिवहन प्राधिकरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र एस°आर°-27ख
[नियम -222 घ(3)देखिये]
ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में परमिट

(यदि यान स्वामी एवं विद्यालय अथवा अभिभावक के मध्य करार हस्ताक्षरित हुआ हो।)

..................................परिवहन प्राधिकरण

परमिट संख्या ....

1. धारक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम (व्यक्ति के मामले में) ....
3. पता-
   (एक) स्थायी...
   (दो) वर्तमान..
4. (एक) यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह
   (दो) माडल..
   (तीन) चेसिस संख्या..
   (चार) इंजन संख्या..
   (पाँच) यान का वर्ग..
   (छः) यान ....के साथ हायर परचेज करार के अधीन है।
5. मार्ग/क्षेत्र जिसके लिए परमिट विधिमान्य है...
6. परमिट के अवसान का दिनांक...
7. किराया की प्रति किलोमीटर की दर...
8. यह परमिट मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 84 में उपबन्धित शर्तों के अध्यथीन रहते हुए होगी।
9. रखे जाने वाले अभिलेख और दिनांक जब विवरणी परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जायेगी...
10. अन्य शर्तें-
    (1) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का उपयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो;
    (2) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और उसके सम्बन्ध में संदेय करों का सम्यक् रूप से संदत्त न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 के अधीन ऐसे कर का सम्यक् रूप से संदत्त नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के संदाय का अपवंचन किया है;
    (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित को छोड़कर परमिट परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं कीजायेगी;
    (4) यह कि यान का उपयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा;
    (5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।
    (6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर, यान के बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है;
    परन्तु यह है कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुडे हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।
    (7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।
11. कोई अन्य शर्त..

दिनांक..................................

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12. परमिट, नीचे दिये गये सम्भागों में और शर्त के अध्यधीन विधिमान्य होगी-

सम्भाग	मार्ग/क्षेत्र	शर्ते
1	2	3

दिनांक..............................

सचिव
संभागीय परिवहन प्राधिकरण

नवीकरण

यह परमिट एतद्द्वारा दिनांक ....से ....तक निम्नलिखित अग्रेतर शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नवीकृत की जाती है।

(1)
(2)
(3)

किसी पूर्ववर्ती प्रतिहस्ताक्षर, के साथ..............................शर्तों के अध्यधीन यह निम्नलिखित राज्य/सम्भागों में प्रभावी होगी।

दिनांक ....

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर

...........................परिवहन प्राधिकरण,

संख्या..............................

शर्तों में निम्नलिखित फेर-फार के अध्यधीन रहते हुए मार्ग/क्षेत्र....................................के लिए प्रतिहस्ताक्षरित-

(1)
(2)
(3)

दिनांक ....

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

उपरोक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्द्वारा, ...तक नवीकृत किया जाता है।

दिनांक ....

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

(घ) प्रपत्र एस°आर°-29 के पश्चात निम्नलिखित नए प्रपत्र बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात:-

प्रपत्र एस°आर°-29क
[नियम-222 घ(1)देखिये]
निजी सेवायान परमिट

..................................परिवहन प्राधिकरण

परमिट संख्या ....

1. धारक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम (व्यक्ति के मामले में)..
3. पता-
   (क) स्थायी..
   (ख) वर्तमान ....
4. कारबार का स्थान और प्रकृति (डाक पते के साथ) ....
5. क्षेत्र या मार्ग (मार्गों) जिसके लिए परमिट विधिमान्य है...
6. यान का प्रकार और उसमें बैठने की क्षमता ....

यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह	**प्रकार**	**बैठने की क्षमता**	**सकल यान भार**	**यान की चेसिस संख्या**
1	**2**	**3**	**4**	**5**

7. विद्यालय स्थल को और वहाँ से लाये जाने वाले व्यक्तियों की प्रकृति और उनकी अधिकतम संख्या................................
   ....
8. परमिट के अवसान का दिनांक ....
9. शर्तें -
   (क). यान का उपयोग केवल परमिट में निर्दिष्ट क्षेत्र में यान मार्ग या मार्गों पर किया जाएगा।
   (ख). परमिटधारक यान के सामने छत के स्तर पर लगाये गये पट्टे या प्लेट या सफेद आधार पर काले अक्षरों में कम से कम 10 सेन्टीमीटर की ऊँचाई के शब्द ''निजी सेवायान'' सुपाठ्य रूप से संप्रदर्शित करेगा।
   (ग). परमिट से आच्छादित यान में ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें यान में ले जाया जा सका है, अधिकतम संख्या .... से अधिक नहीं होगी और सामान जो ले जाया जा सकता है अधिकतम भार...............कुन्तल से अधिक नहीं होगा।
   (घ). यान की सुख सुविधा, स्वच्छता और अनुरक्षण का मानक जैसा कि मोटरयान अधिनियम, 1988 या तद्धीन बनाये गये नियमों में सार्वजनिक सेवायानों के लिए विनिर्दिष्ट है, यान में बनाये रखा जायेगा।
   (ङ). यान में कोई विज्ञापन सम्बन्धी विषय साधारणतया संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा।
   (च). परमिटधारक उस परिवहन प्राधिकरण को जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी है ऐसी कालिक विवरणी, सांख्यकीय और अन्य सूचना जैसे राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा।
   (छ). परमिटधारक निम्नलिखित का भी अनुपालन करेगा-
      (एक) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 के अधीन विहित शर्तें और अधिनियम के अन्य उपबन्ध, जहाँ तक ये परमिटधारक पर लागू होते हों।
      (दो) ऐसी कोई अन्य शर्त या शर्तें जिसे या जिन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।
   (ज). ऐसा परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा परमिट जारी की गयी है, कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है या उसमें कोई अग्रतर शर्तें बढ़ा सकता है।
10. अन्य कोई शर्तें-
   (1) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में तब तक उस अवधि के दौरान नहीं किया जायेगा, जिसमें उससे सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और टोकन उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों केअनुसार अभ्यर्पित किया जाये या अभ्यर्पित कर दिया गया हो या निलम्बित या रद्द कर दिया गया हो।
   (2) यह कि ऐसे परमिट से आच्छादित यान का प्रयोग किसी भी दशा में किसी सार्वजनिक स्थान में तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और उसके सम्बन्ध में देय करों का सम्यक् भुगतान न कर दिया गया हो, और यदि यथास्थिति, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 में ऐसे कर का सम्यक् भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि परमिट के धारक ने साशय ऐसे कर के भुगतान का अपवंचन किया है।
   (3) यह कि धारा 82 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय परिवहन प्राधिकरण, जिसने परमिट स्वीकृत किया हो, की अनुज्ञा के सिवाय परमिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं की जायेगी।
   (4) यह कि यान का प्रयोग परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या मार्ग पर या मार्गों पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) यह कि व्यक्तियों की अधिकतम संख्या या सामान का अधिकतम भार जो परमिट से आच्छादित यान में ले जा सके, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में दी गयी संख्या या भार से अधिक नहीं होगा।

(6) यह कि केवल ऐसे विज्ञापन विषय, जो सीधे परमिटधारक के कारबार से सम्बन्धित हो, जिसके अग्रसर करने में परमिट प्राप्त किया जाये और जो किसी भी प्रकार यान की पहचान को परिवर्तित नहीं करता यान पर बोनट, फ्रंट स्क्रीन और डैश बोर्ड के किसी भाग के सिवाय प्रदर्शित किया जा सकता है।

परन्तु यह कि विज्ञापन का कोई विषय यान के ऊपर रंगे हुए, खुदे हुए या जुड़े हुए किसी सारवान विवरण को न तो आच्छादित करेगा और न उसके 20 सेंटीमीटर के कम की दूरी पर होगा।

(7) यह कि परमिट को परमिटधारक द्वारा ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि वह किसी भी समय प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिये तुरन्त उपलब्ध हो सके।

11. परमिट सम्भाग में भी नीचे दी गयी शर्तों के अध्यधीन विधिमान्य है-

सम्भाग	**मार्ग/क्षेत्र**	**शर्ते**
1	**2**	**3**

दिनांक ....

सचिव,
...........संभागीय परिवहन प्राधिकरण

नवीकरण

..........................के अधीन रहते हुए..............................तक नवीकृत किया गया।

दिनांक ....

सचिव,
...........संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर

परमिट संख्या...

निम्नलिखित संशोधन एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए..........................मार्ग/क्षेत्र के लिये प्रतिहस्ताक्षरित ....

दिनांक ....

सचिव,
...........संभागीय परिवहन प्राधिकरण

प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण

उपयुक्त प्रतिहस्ताक्षर, एतद्द्वरा, ...तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन नवीकृत किया जाता है।

दिनांक ....

सचिव,
...........संभागीय परिवहन प्राधिकरण

आज्ञा से,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-12/2019/805/तीस-4-2019-17(सा0)/2018,तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 27 मई, 2019 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-12 /2019/805/तीस-4-2019-17(सा0)/2018,तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-12/2019/805/तीस-4-2019-17(सा0)/2018,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/न्याय/वित्त/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्तर मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. समस्तर जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9. समस्तर जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
10. विधायी अनुभाग-1
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in